संख्या–1080 / पॉच–9–2013–9(90) / 13

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
एन0आर0एच0एम0,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2013

विषयः– प्रदेश में निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से '102' एम्बुलेन्स सेवा के संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–103 / एस0पी0एम0यू0 / '102' प्रोसेस / 2013–14 / 326 दिनांक 26.04.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदेश में ''102'' एम्बुलेन्स सेवा का संचालन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं ''108'' ई0एम0टी0एस0 की सफलता के दृष्टिगत प्रथम चरण में वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित 972 एम्बुलेंस वाहनो एवं द्वितीय चरण में 1000 अतिरिक्त एम्बुलेन्स वाहनो, कुल 1972 एम्बुलेन्स वाहनो को ''102'' सेन्ट्रालाइज्ड कॉल सेन्टर के माध्यम से निजी सेवा प्रदाता के द्वारा संचालन किया जायेगा।

(2) ''102'' एम्बुलेन्स सेवा प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जायेगी तथा जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं को निकटतम् राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर पहुंचाया जायेगा एवं ड्रॉपबैक सुविधा भी प्रदान करायी जायेगी। गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय संदर्भन हेतु भी उपयोग में लाया जायेगा। यह सुविधा 24 घण्टे 365 दिन सेन्ट्रलाइज्ड कॉल सेन्टर ''102'' के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

(3) ''102'' एम्बुलेन्स सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

(क) इस परियोजना के संचालन हेतु निजी सेवा प्रदाता का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए परियोजना की अवधि, जो पांच वर्ष प्रस्तावित है, के लिए किया जायेगा।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रथम चरण में 972 एम्बुलेंस वाहनो को यथा स्थिति (ऐज़–इज़–बेसिस) पर चयनित निजी सेवा प्रदाता को परियोजना अवधि के लिए हस्तगत कराया जायेगा।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त बेसिक एम्बुलेन्स

.....2 / –

वाहनो का क्रय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के स्तर से नियमानुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 भारत सरकार के दर अनुबन्ध पर किया जायेगा एवं द्वितीय चरण में इन 1000 अतिरिक्त एम्बुलेन्स वाहनो को चयनित निजी सेवा प्रदाता को परियोजना अवधि के लिए हस्तगत कराया जायेगा।

(घ) परियोजना के संचालन के लिए टोल–फ्री नम्बर ''102'' की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी।

(ड़) इस परियोजना को जन साधारण तक पहुंचाने हेतु व्यापक आवश्यक प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व शासन का होगा।

(च) इस परियोजना का क्रियान्वयन महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से किया जायेगा।

(छ) उक्त परियोजना यदि पी0पी0पी0 माडल पर संचालित की जाती है, तो इस संबंध में अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्गत पी0पी0पी0 गाईड लाइन्स/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित परियोजना में निजी सेवा प्रदाता द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगेः–

(क) परियोजना के अन्तर्गत सेन्ट्रलाइज्ड काल सेन्टर ''102'' स्थापित किया जायेगा। परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु काल सेन्टर एवं एम्बुलेन्स में सम्बन्धित आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करायी जायेगी।

(ख) इस सेन्ट्रलाइज्ड काल सेन्टर में टोल–फ्री नम्बर ''102'' पर सूचना प्राप्त होने पर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी0पी0आर0एस0) एवं जियोग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम (जी0आई0एस0) के माध्यम से निकटतम एम्बुलेन्स को रोगी तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया जायेगा। प्रत्येक एम्बुलेन्स जी0पी0आर0एस0 सुविधा से सुसज्जित की जायेगी।

(ग) एम्बुलेन्स में बेसिक उपकरणों के साथ सुसज्जित किये जाने, फेब्रिकेशन एवं रख–रखाव का दायित्व निजी सेवा प्रदाता का होगा।

(घ) इस परियोजना की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार यद्यपि शासन द्वारा किया जायेगा परन्तु समय–समय पर इस कार्य में निजी सेवा प्रदाता द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(5) प्रदेश में 102 एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु द्वितीय चरण में 1000 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों का क्रय तभी किया जायेगा, जब भारत सरकार के पत्र संख्या–10(30) /2012–एन0आर0एच0एम0–1, दिनांक 15.01.2013 में दी गयी सभी शर्तों का अक्षरशः पालन कर लिया जायेगा। 2017 के पश्चात उक्त योजना को संचालित किए जाने के संबंध में यथासमय/यथास्थिति निर्णय लिया जायेगा। वर्तमान में इस परियोजना पर आने वाला समस्त व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

(6) निजी सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रियाः–

(क) वर्ष 2011–12 में ''108'' ई0एम0टी0एस0 सेवा के संचालन हेतु निजी सेवा प्रदाता के चयन के लिए विभाग द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई गयी थी अतः ''102'' एम्बुलेंस सेवा हेतु निजी सेवा प्रदाता का चयन ''108'' की भाँति ही की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

.....3/–

(ख) निजी सेवा प्रदाता के चयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति ''108'' की भाँति सार्वजनिक टेण्डर के माध्यम से की जायेगी।

(ग) निजी सेवा प्रदाता के चयन के लिए प्रस्तावित परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये निविदा प्रपत्र (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) का अनुमोदन एवं चयन पर अन्तिम निर्णय माननीय मुख्य मंत्री उ0प्र0 द्वारा लिया जायेगा।

3— उपर्युक्त निर्णय के क्रम में कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**प्रवीर कुमार**)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग।

संख्या—1080(1)/पॉच—9—2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) महानिदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रद्रेश।
(9) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रद्रेश।
(11) समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
(12) वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(13) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(14) सहायक निदेशक, सूचना, उ0प्र0 शासन।
(15) कम्प्यूटर सेल प्रभारी, एन0आर0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
(16) वित्त(व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3
(17) गार्ड—फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(डा0 सारिका मोहन)
विशेष सचिव।